न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम सोहन पुत्र दयाराम रेगर निवासी रेगर पाडा बड़ा जिला दौसा

प्रा.पत्र नम्बर 201/2021 **GCMS No.2021/260**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
14/03/2022	अप्रार्थी सोहन के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 545/261 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय खातेदारी भूमि आई हुई है जिसमें अप्रार्थी आज दिन भी कृषि कार्य करता आ रहा है तथा कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से अकृषि प्रयोजन काम में नही लिया गया है, इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से पूर्व निर्धारित रीति अनुसार प्राधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी यहाँ से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 –क के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आज्ञा प्राप्त करेगा। जिसके पश्चात ही अकृषि उपयोग में लेगा। इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए कि प्रार्थी की भूमि कृषि प्रयोजन ही उपयोग में ली जा रही है। अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 22.06.2021 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	